अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

M.P.H.J.S. (L.C.E.) – 2022

द्वितीय प्रश्न–पत्र
2nd QUESTION PAPER

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 23
No. of Printed Pages : 23

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. This Question Paper consists of 6 Questions & the candidates are required to write answer of questions in answer Book provided.
3. इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न हैं तथा अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर इस हेतु दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं।
4. Q.No. 3(a) and 3(b) both are compulsory.
   प्रश्न क्र. 3(a) व 3(b) दोनो ही अनिवार्य हैं।
5. Q.No. 4, 5 & 6 have internal choices.
   प्रश्न क्र. 4, 5 एवं 6 में आंतरिक विकल्प उपलब्ध हैं।
6. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Any attempt to disclose identity, in any other part thereof, shall disqualify the candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी प्रकार से किसी अन्य भाग पर कोई भी पहचान चिन्ह या नाम दर्ज करने पर उम्मीदवारी निरर्हित हो जावेगी।
7. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय है तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

RULES AND ORDERS (CIVIL & CRIMINAL)
नियम एवं आदेश (व्यवहार एवं आपराधिक)

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
1(a)	Explain the procedure to record the confession by the Magistrate provided under Rule 83 of M.P. Rules and Orders (Criminal). म.प्र. नियम तथा आदेश (आपराधिक) के नियम 83 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित किये जाने की प्रकिया को समझाईये।	4
1(b)	According to Rule 253 of Civil Court Rules 1961, under what circumstances a court can grant permission to examine the witnesses by the commission ? व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 253 के अंतर्गत न्यायालय किन परिस्थितियों में साक्षियों का परीक्षण आयोग के समक्ष कराये जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है ?	4
1(c)	What should be included in the Judgment as per the provisions of amended Rules 238-A, 238-B, Madhya Pradesh Rules and Order (Criminal) ? संशोधित नियम 238–क एवं 238–ख, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निर्णय में क्या अंतर्विष्ट होना चाहिए ?	4
1(d)	Discuss the provisions to classify the Under Trial prisoner under Rule 393 and 394 of Rules and Order (Criminal) ? नियम 393 एवं 394, नियम एवं आदेश (आपराधिक) के तहत विचाराधीन केदीयों को वर्गीकृत करने के प्रावधानों की चर्चा कीजिए ?	4
1(e)	What is expected from the Court under new Rule 117A and 117B of M.P. Rules and Orders (Criminal) ? मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) के नये नियम 117 (क) एवं नियम 117 (ख) के अंतर्गत न्यायालय से क्या अपेक्षित है ?	4

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES
प्रचलित अग्रनिर्णयों का ज्ञान

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
2.	Briefly state the principles of law laid down in the following cases. निम्नलिखित प्रकरणों में प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।	20
(i)	Premshankar Prasad vs State of Bihar and another 2021 SCC online SC 955 प्रेमशंकर प्रसाद विरूद्ध स्टेट ऑफ बिहार एवं एक अन्य 2021 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 955	

(ii) United India Insurance Co. Ltd vs Satinder Kaur and others 2020 SCC online SC 410
यूनाईटेड इंडिया इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध सतीन्दर कौर एवं अन्य 2020 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 410

(iii) X-appellant vs Principal Secretary, Health & family welfare, Government of NCR of Delhi & Another. Civil appeal No. 5802/2022 Judgment dated 29.09.2022 (SC)
एक्स अपीलार्थी विरूद्ध प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिलि वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीआर ऑफ दिल्ली एवं अन्य। सिविल अपील न. 5802/2022 निर्णय दिनांक 29.09.2022 (एस.सी.)

(iv) Gautam Navlakha vs. National Investigation Agency (2021) SCC online SC 382
गौतम नवलखा विरूद्ध नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (2021) एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 382

Q.No. / प्र.क्र.	**Question / प्रश्न**	Marks /अंक
3(a).	**Summaries (in 150 to 200 words) the facts contained in the following passage (in English) –**	**5**

It is very easy to acquire bad habits, such as eating too many sweets or too much food, or drinking too much fluid of any kind, or smoking. The more we do a thing, the more we tend to like doing it; and, if we do not continue to do it, few feel unhappy. This is called the force of habit, and the force of habit should be fought against.

Things which may be very good when only done from time to time, tend to become very harmful when done too often and too much. This applies even to such good things as work or rest. Some people form a bad habit of working too much, and others of idling too much. The wise man always remembers that this is true about himself, and checks any bad habit. He says to himself, "I am now becoming idle", or "I like too many sweets", or "I smoke too much" and then adds, "I will get myself out of this bad habits at once".

One of the most widely spread of bad habits is the use of tobacco. Tobacco is now smoked or chewed by men, often by women, and even by children, almost all over world. It was brought into Europe from America by Sir Walter Raleigh, four centuries ago, and has thence spread everywhere. I very much doubt whether there is any good in the habit, even when tobacco is not used in excess; and it is extremely difficult to get rid of the habit when once it has been formed.

Alcohol is taken in almost all cool and cold climates, and

to a very much less extent in hot ones. Thus, it is taken by people who live in the Himalaya Mountains, but not nearly so much by those who live in the plains of India. Alcohol is not necessary in any way to anybody. Millions of people are beginning to do without it entirely; and once the United States of America have passed laws which forbid its manufacture or sale throughout the length and breadth of their vast country. In India it is not required by the people at all, and should be avoided by them altogether. The regular use of alcohol, even in small quantities, tends to cause mischief in many ways to various organs of the body. It affects the liver, it weakens the mental powers, and lessens the general energy of the body.

3(b). निम्नलिखित गद्यांश में वर्णित तथ्यों को संक्षेप में (150 से 200 शब्दों में) लिखिये (हिन्दी में) – **5**

वादीगण ''अ'' तथा ''ब'' होशंगाबाद शहर के वार्ड कमांक 10 में स्थित मकान कमांक 32 के स्वामी हैं। वादीगण के पिता जो अब जीवित नहीं हैं, के जीवनकाल से प्रतिवादी ''क'' तल मंजिल के 2 कमरों में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु 3000 रूपये मासिक किराया दर पर किरायेदार है। किरायेदारी प्रत्येक माह की पहली तारीख से प्रारंभ होकर, माह की बंतिम तारीख पर समाप्त होती है।

वादीगण का अन्य अविवाहित भाई ''स'' वादग्रस्त स्थान वाले मकान के तल मंजिल के शेष भाग तथा उपरी मंजिल में निवास करता था, जिसकी दिनांक 04.02.2014 को मृत्यु हो गई। प्रतिवादी ''क'' द्वारा किराये का भुगतान वादी के भाई ''स'' को किया जाता रहा है और पावती प्राप्त की जाती रही है तथापि, 01. 02.2014 से वादी द्वारा की गई अनेक मौखिक भागों के बावजूद और नोटिस दिनांक 15.9.2014 जो कि पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गई थी, के बावजूद भी प्रतिवादी ने किराया अदा नहीं किया। इस प्रकार प्रतिवादी पर 01.02.2014 से वादपत्र प्रस्तुतीकरण तक का किराया बकाया है।

''स'' की मृत्यु के पश्चात, प्रतिवादी ने बिना वादी की लिखित अनुमति के, भूतल का 1 कमरा और प्रथम तल के 2 कमरे जो कि ''स'' के आधिपत्य में थे और प्रतिवादी को किराये पर नहीं दिये गऐ थे, पर अवैध कब्जा कर लिया। वाद दायर करने के पूर्व वादी ने प्रतिवादी को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जिसमें 01.02. 2014 से बकाया किराये की मांग के साथ वादग्रस्त मकान के अतिकमण किए एहुये हिस्से का आधिपत्य भी मांगा गया किंतु नोटिस के बावजूद प्रतिवादी ने वादग्रस्त परिसर के अतिकमण वाले हिस्से को खाली नहीं किया।

वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुति के पूर्व दिये गये नोटिस का प्रतिवादी की ओर से दिये गये लिखित उत्तर में प्रतिवादी ने वादग्रस्त मकान पर वादीगण के स्वामित्व को चुनौती दी है।

4. **SETTLEMENT OF ISSUES**

Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder 10

Pleadings of the plaintiff :-

Land bearing survey No.1537 /2 area 1.369 hectare is situated in town Vidisha and the defendant is the Bhumiswami of the land. On 13.01.86, the defendant entered into an agreement with plaintiff that he will sell out this land within 2 years for Rs. 35000/- and after getting the sale amount, he will also execute a registered sale deed in favour of plaintiff. On 13.01.86, the defendant also received an amount of Rs.25000/- as partial sale amount/ consideration and given symbolic possession to the plaintiff. He also executed agreement and got registered. According to agreement, the defendant had to receive remaining sale consideration Rs.10,000/- from the plaintiff till 12.01.88 and after handing over possession, sale deed had to be executed and registered. However, he did not do so. On 04.01.88, the plaintiff sent a registered notice to the defendant which was served to him on 07.01.88 but the defendant neither gave any reply to it nor performed his part of the agreement. Plaintiff was always willing and ready and still is ready to perform his part of the agreement but the defendant was not ready as the plaintiff has filed this suit. Plaintiff has prayed for a decree for specific performance by execution of sale deed alongwith possession and mesne profit @ Rs.2000 /- p.a. till possession.

Pleadings of the defendants :-

The defendant admitted his bhumiswami rights on the suit land and pleaded that no as such agreement was executed in respect of mentioned land. The defendant has pleaded that he took loan from the plaintiff. In the January 1983, after accounting, the plaintiff showed Rs. 10000 /- as outstanding amount. Agreed interest on the amount was 3% par month. Defendant made the payment of Rs. 10000/- in the month of December, 1985. In January, 1986, the plaintiff again calculated Rs.10000/- as principal and Rs. 10800/- as outstanding interest thereon, Out of this, the

defendant made payment of Rs. 6000/- and only Rs.14800/- was outstanding amount. On demanding the outstanding amount by plaintiff, the defendant sought 3 years time for payment for which plaintiff again demanded Rs. 10200/- as interest. As such, the total shown outstanding amount was Rs. 25000/- for which the defendant was compel to execute disputed document. On 13.01.86, the defendant had signed the instrument unwillingly. The defendant neither received any amount nor any agreement for sale was executed between the parties. The defendant is always ready to pay a reasonable amount to the plaintiff against outstanding amount but the defendant does not accede to the demand for unjust interest and hence the plaintiff has filed the present suit which is liable to be dismissed.

निम्नांकित तथ्यों के आधार पर वादप्रशनों की रचना कीजिये

वादी के अभिवचन :-

भूमि सर्वे संख्या 1537/2 क्षेत्र 1.369 हेक्टेयर विदिशा शहर में स्थित है और प्रतिवादी उस भूमि का भूमिस्वामी है। 13.01.86 को, प्रतिवादी ने वादी के साथ एक समझौता किया कि वह इस जमीन को 2 साल के भीतर 35000/- रुपये में बेच देगा और बिक्री राशि प्राप्त करने के बाद वह वादी के पक्ष में एक पंजीकृत विक्रय विलेख भी निष्पादित करेगा। दिनांक 13.01.86 को प्रतिवादी ने आंशिक बिक्री राशि प्रतिफल के रूप में 25000/- रूपये की राशि में प्राप्त की और वादी को सांकेतिक कब्जा दे दिया। उसने अनुबंध निष्पादित किया तथा उसका पंजिकरण भी कराया। अनुबंध के अनुसार, प्रतिवादी को वादी से दिनांक 12.01.88 तक शेष विक्रय प्रतिफल 10,000/- रुपये प्राप्त करना था और भूमि का कब्जा सौंपने के बाद विक्रय विलेख को निष्पादित और पंजीकृत कराना था। हालांकि, उसने ऐसा नहीं किया। वादी ने दिनांक 04.01.88 को प्रतिवादी को एक पंजीकृत नोटिस भेजा, जो उसे दिनांक 07.01.88 को तामील हुआ, लेकिन प्रतिवादी ने न तो इसका कोई जवाब दिया और न ही अनुबंध के अनुसार उसके हिस्से का पालन किया। वादी हमेशा, तैयार व रजामंद था और अभी भी अनुबंध के अपने दायित्व का पालन करने के लिए तैयार है लेकिन प्रतिवादी तैयार नहीं था इसलिए वादी ने यह मुकदमा दायर किया है। वादी ने विक्रय विलेख के निष्पादन के विनिर्दिष्ट पालन के साथ-साथ कब्जे और कब्जा प्राप्त होने तक 2000/- रुपये प्रति वर्ष की दर से अन्त: कालीन लाभ के लिए डिक्री की प्रार्थना की है।

प्रतिवादी के अभिवचन :-

प्रतिवादी ने वाद भूमि पर अपना भूमिस्वामी अधिकार स्वीकार किया है और अभिवचन किया कि उपर्युक्त भूमि के संबंध में कोई अनुबंध

नहीं हुआ था। प्रतिवादी ने अभिवचन किया है कि उसने वादी से ऋण लिया है। वादी ने जनवरी, 1983 में हिसाब-किताब के बाद रु. 10000/- बकाया राशि दर्शायी थी। इस राशि पर 3% मासिक ब्याज देने पर सहमति बनी थी। प्रतिवादी ने दिसंबर, 1985 में 10000/- रुपये का भुगतान किया था। जनवरी, 1986 में, वादी ने फिर से 10000/- रुपये मूलधन के रूप में और रु. 10800/- बकाया ब्याज के रूप में दर्शित किया था। इसमें से, प्रतिवादी ने पहले ही 6000/- रुपये का भुगतान कर दिया था और 14800/- रुपये केवल बकाया थे। वादी द्वारा मांग करने पर, प्रतिवादी ने 3 वर्ष का समय मांगा जिस पर वादी ने फिर से ब्याज के रूप में 10200/- रुपये की मांग की। इस प्रकार, कुल रु. 25000/- की राशि को बकाया के रूप में दिखाया गया था और इसके लिए प्रतिवादी को विवादित लिखत को निष्पादित करने के लिए मजबूर किया गया था। प्रतिवादी ने 13.01.86 को अनिच्छा से लिखत पर हस्ताक्षर किए थे। प्रतिवादी को न तो कोई राशि दी गई और न ही पक्षों के बीच बिक्री के लिए कोई अनुबंध निष्पादित किया गया था। प्रतिवादी युक्ति-युक्त राशि वादी को भुगतान बकाया राशि के निपटारे के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन प्रतिवादी अन्यायपूर्ण ब्याज की मांग को स्वीकार नहीं करता है और इसलिए वादी ने वर्तमान वाद दायर किया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

अथवा / **OR**

FRAMING OF CHARGES

Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under -

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS

Date of birth of prosecutrix Neelam is 29-07-2004. She was regular Student of B.Com. first year in Gujarati College, Indore. She was acquainted with accused Sanjay. On 04-12-2021, aroung 10:30 A.M., the accused enticed the prosecutrix with the promise of marriage and induced her to accompanied him to Jaipur. The prosecutrix was not allowed to contact to her parants by the accused. The accused and prosecutrix lived as husband and wife in a rented accommodation in Jaipur. Despite resistance of the prosecutrix, the accused continued to rape her against her will. Meanwhile, father of prosecutrix Neelam, lodged a missing report in the police station. During investigation, on 25-12-2021, the prosecutrix was recovered from the possession of accused Sanjay in Jaipur and a criminal case got register. As per Radiological examination conducted during investigation, the decided estimated age of prosecutrix was 17 years. During medical examination a slide of vaginal

fluid of the prosecutrix was prepared and her panty was seized. In the Chemical Examination, human Spermatozoa and stains of semen were found on both of articles.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये –

<u>अभियोजन का प्रकरण / अभिकथन</u> –

अभियोक्त्री नीलम की जन्मतिथ 29.7.2004 है। वह गुजराती कॉलेज, इंदौर में बी.कॉम प्रथम वर्ष की नियमित छात्रा थी। वह अभियुक्त संजय से परिचित थी। दिनांक 04.12.2021 को सुबह के लगभग 10.30 बजे अभियुक्त ने अभियोक्त्री को विवाह करने का वायदा दिया और उसे उसके साथ जयपुर जाने के लिये उत्प्रेरित किया। उसने अभियोक्त्री को अपने माता पिता से संपर्क नहीं करने दिया। जयपुर में अभियुक्त व अभियोक्त्री किराये का एक मकान लेकर पति पत्नी के रूप में रहे। अभियोक्त्री के द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद अभियुक्त उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग करता रहा। इस बीच अभियोक्त्री नीलम के पिता के द्वारा आरक्षी केन्द्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अन्वेषण के दौरान जयपुर में अभियुक्त संजय के कब्जे से दिनांक 25.12.2021 को अभियोक्त्री को बरामद किया गया तथा आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनवेषण के दौरान करवाये गये अस्थि परीक्षण में अभियोक्त्री की अनुमानित आयु 17 वर्ष निर्धारित की गई। चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान अभियोक्त्री की योनीद्रव की स्लाईड बनाई गई एवं उसकी पेंटी जप्त की गई। रासायनिक परीक्षण के प्रतिवेदन के अनुसार दोनो पर मानव शुक्राणु एवं वीर्य के धब्बे पाये गये।

<u>JUDGMENT WRITING</u>
<u>निर्णय लेखन</u>

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
5	**<u>JUDGMENT WRITING (CIVIL)</u>** Frame issues on the basis of pleadings and evidence given below and write a judgment based on marshalling and appretiation of the evidence, along-with the relevant provisions of Law/Acts :-	**30**

<u>Plaintiff's Pleadings</u> :-

Mother M, the plaintiff, had duly authorized her son S by a power of attorney to sell her disputed house for a

handsome price. The son could not sell house for more than two years as mother lost faith in her son and cancelled the power of attorney. The cancellation was duly published in leading news papers in local edition, on the very next day of the cancellation of the power of attorney. Before cancellation of said document, she had promptly informed that the power of attorney is being cancelled and she asked her son to return the document but he did not return the same by saying that it is lost. She has also served a notice on him for the same purpose which was not replied by him. The son sold the said property for a consideration of Rs 60000/- to purchaser P. However, the possession of the property remained with the mother from beginning till now. She came to know about sale by her son when purchaser came to take possession from mother. Therefore, she has filed a suit for declaration and cancellation of sale-deed paying fixed court fees as per the provision of Schedule II Art. 17, Part 3 of the Court Fees Act. She has also stated in her claim that she never given consent directly or indirectly to her son to sell the property. She also made her son party to the suit as defendant No. 2.

The defendant No. 2 son remained ex parte in suit.

Defendant's Pleadings **:-**

The defendant no. 1, P contested the suit and alleged that the plaintiff's son told that the power of attorney is still in existence and he had authority to sell the property. According to defendant, he made full consideration by way of bank draft to the son plaintiff. He has also alleged that there is collusion between the son and mother and in any case, the sale is valid as per the provisions of sections 41 and 43 of the Transfer of Property Act.

He also filed a counter claim against plaintiff and defendant No. 2 son for possession and in alternative for refund of consideration paid to defendant no. 2. The counter

claim was duly resisted by the plaintiff. Defendant No. 2, son remained ex parte and did not resist the counter claim also.

Plaintiff's Evidence **&** ***Arguments of Plaintiff*** **:-**

Plaint pleading is part of evidence and arguments too. In addition, the plaintiff argued that she has not received any consideration and she had no notice about the sale of disputed house. The power of attorney was duly cancelled and cancellation was duly published in the leading newspapers. The purchaser never contacted her nor asked her about the nature of possession and authority of her son to sell the property. The purchaser has committed the breach of doctrine "Buyer Beware" , that is, caveat emptor. The plaintiff had further argued that the sale is not an ostensible sale nor she gave implied consent to her son becease relations between them were strained. She has further argued that the purchaser defendant No. 1 has no right to seek possession from the plaintiff. Thus, the plaintiff has filed this suit for cancellation of sale – deed.

Defendant's Evidence **&** ***Arguments of Defendant*** **:-**

The purchaser, defendant No. 1 in his evidence and arguments said that he is a bonafide purchaser for consideration. Before purchasing disputed house, he expressed his intention in the newspapers to purchase the said house, and plaintiff never objected to such public notice. The son showed him as the holder of power of attorney and after verifying the same, he purchased the said house. At the time of execution of the sale deed, the son had promised to hand over possession on the same day of execution but did not handover possession.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य के क्रमबंधन एवं मूल्यांकन, संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के साथ करते हुए निर्णय लिखिये :–

वादी के अभिवचन :–

माता एम, वादिनी, ने अच्छे मूल्य पर अपने वादग्रस्त घर को बेचने के लिये मुख्तारनामा द्वारा अपने पुत्र एस को सम्यक रूप से प्राधिकृत किया था। पुत्र घर को दो वर्ष से अधिक समय से नहीं बेच सका, इसलिए माता ने अपने पुत्र में विश्वास खो दिया और मुख्तारनामा को निरस्त कर दिया। निरस्तीकरण को, मुख्तारनामा के निरस्तीकरण के अगले ही दिन, स्थानीय संस्करण में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में सम्यक रूप से प्रकाशित किया गया। उक्त दस्तावेज के निरस्तीकरण के पहले उसने तत्परता से यह सूचित किया था कि उक्त मुख्तारनामा निरस्त किया जा रहा है तथा अपने पुत्र से विलेख को लौटाने के लिये कहा था परंतु उसने उसे यह कहते हुये नहीं लौटाया कि वह खो गया है। उसने उस प्रयोजन के लिए, पुत्र ने नोटिस भी तामील करायी थी जिसका उसने उत्तर नहीं दिया। पुत्र ने क्रेता पी. को 60,000 रूपये के प्रतिफल के लिये उक्त सम्पत्ति को बेच दिया। तथापि सम्पत्ति का कब्जा प्रारंभ से अब तक माँ के साथ रहा। जब क्रेता माँ से कब्जा लेने के लिये गया, तब वह अपने पुत्र द्वारा ऐसे विक्रय के बारे में जान सकी थी। इसलिए उसने घोषणा तथा विक्रय विलेख के निरस्तीकरण के लिये न्यायालय शुल्क अधिनियम की अनुसूची 2, अनुच्छेद 17, भाग 3 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय शुल्क अदा करते हुये वाद दाखिल किया। उसने अपने दावे में यह भी कथन किया कि उसने उक्त सम्पत्ति को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बेचने के लिये अपने पुत्र को कभी सम्मति नहीं दी थी। उसने अपने पुत्र को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया था।

प्रतिवादी संख्या 2, पुत्र वाद में एकपक्षीय रहा।

प्रतिवादी के अभिवचन :–

प्रतिवादी संख्या 1, पी ने वाद का प्रतिवाद किया तथा अभिकथन किया कि वादी के पुत्र ने यह कहा था कि मुख्तारनामा अभी भी प्रवर्तन में है और उसको उसे सम्पत्ति बेचने का प्राधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी के अनुसार उसने वादी के पुत्र को बैंक ड्राफ्ट के द्वारा पूर्ण प्रतिफल संदत्त किया था। उसने यह भी अभिकथन किया कि पुत्र तथा मां के बीच दुस्संधि है। किसी भी स्थिति में विक्रय सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 और 43 के प्रावधानों के अनुसार वैध है।

उसने कब्जा के लिये तथा अनुकल्प में प्रतिवादी संख्या 2 को संदत्त किए गए प्रतिफल की वापसी के लिये वादी तथा प्रतिवादी संख्या

1 के विरूद्ध प्रतिदावा भी दाखिल किया। प्रतिदावा का वादी द्वारा सम्यक् रूप से विरोध किया गया था प्रतिवादी संख्या 2 पुत्र एकपक्षीय रहा और उसने प्रतिदावे का भी विरोध नहीं किया।

वादी की साक्ष्य एवं वादी के तर्क :–

वादपत्र का अभिवचन, साक्ष्य और तर्क का भी भाग है, इसके अतिरिक्त वादी ने यह तर्क किया कि उसने कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त किया तथा वादग्रस्त घर के विक्रय के बारे में कोई सूचना नहीं थी। मुख्तारनामा सम्यक रूप से निरस्त किया था तथा निरस्तीकरण को महत्वपूर्ण समाचार – पत्रों में सम्यक रूप से प्रकाशित किया था। क्रेता ने उससे कभी संपर्क नहीं किया तथा कब्जे की प्रकृति के बारे में उससे पूछा नहीं था, और न ही सम्पत्ति को बेचने के लिये पुत्र के प्राधिकार के बारे में। क्रेता ने "क्रेता सावधान हो" के सिद्धांत जोकी केवियट इम्पटर हैं, का भंग कारित किया है। वादी ने पुनः यह तर्क किया कि विक्रय दृश्यमान विकय नहीं है, न तो उसने अपने पुत्र को विवक्षित सम्मति दी थी क्योंकि उसकी तथा उसके पुत्र के बीच सम्बंध तनावग्रस्त थे। उसने पुनः यह तर्क किया है कि केता प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के कब्जे की मांग करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। अतः वादी ने विकय विलेख के निरस्तीकरण के लिये वाद को दाखिल किया है।

प्रतिवादी की साक्ष्य एवं प्रतिवादी के तर्क :–

केता, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य तथा तर्को में यह कहा कि वह प्रतिफल के लिये सद्भावपूर्वक केता है। वादग्रस्त घर को कय करने के पहले उसने उक्त घर को कय करने के लिये अपने आशय को सामचार–पत्रों में प्रकट किया था तथा वादी ने ऐसी लोकसूचना का कभी विरोध नहीं किया था। पुत्र ने स्वयं को मुख्तारनामा धारक के रूप में भी दर्शाया था और उसको सत्यापित करने के पश्चात उसने उक्त घर को कय किया था। विकय विलेख के निष्पादन के समय पुत्र ने निष्पादन के दिन ही कब्जा सौंपने का वायदा किया था, परंतु उसका कब्जा नहीं सौंपा।

अथवा / **OR**

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Frame the charge on the basis of prosecution case and write a judgment with reason based upon the facts, evidence and arguments given below :-

Prosecution *Case* :-

As per the prosecution story on 17.07.1994 the marriage of Kavita was solemnized as per Hindu rites with Karamveer at University Campus, Rohtak. In the matrimonial home of Kavita along with her husband Karamveer, his mother Maya Devi, brothers Dharamveer and Paramveer and sister Soniya, also lived in House no. 36, University Campus. After a few days of marriage they started harassing, maltreating and beating Kavita on account of demand of dowry. Despite all efforts there was no change in their behavior towards Kavita and their treatment became bad to worse. On 26.09.96, at 3.30 p.m. police got telephonic information received from unknown person that dead body of lady is laying in house no. 36 of situated in University Campus. Then the police proceeded to gather information about the incident. The father of deceased Kavita, i.e., Kanwar Singh also reached there. He saw the place of incident and identified the dead body of his daughter.

On 27.09.96, Kanwar Singh (PW 3) made a complaint in the police station, Rohtak stating that due to the harassment and cruelty on account of dowry, his daughter Kavita has committed suicide by consuming some poisonous substance. On this complaint, FIR (First Information Report) under Section 498 A, 304 B, 306/34 of IPC was got register. The Investigation Officer prepared the spot map and panchayatnama of dead body. The dead body was sent to hospital for post mortem. Statements of witnesses were recorded. Viscra collected at hospital was sent for chemical examination. After completion of investigation, police filed charge-sheet before in the court under the above sections against all the accused persons.

***Defence Plea* :-**

As per defense version, the deceased was suffering from mental illness and being depressed, she has committed suicide for which the accused can not be held guilty. Apart from this, Maya Devi, the mother-in-law of deceased was residing at Delhi on account of her service of teaching and

she was not present at the place of incident on the date of incident. The prosecution case is based on evidence of interested witnesses only, who are biased and not reliable.

Evidence for prosecution :-

The father of deceased Kanwar Singh (PW 3) deposed that just after 20-25 days of marriage of Kavita, the accused persons husband Karamveer, his two brothers, mother and sister started harassing Kavita for money and she narrated everything to her parents and brother when Kavita came back to her father's home. He also deposed that when he enquired about the matter, Karamveer and his mother told that they were in need of money because they had to soleminized marriage of Soniya and if he will pay Rs.20, 000/- to Karamveer, Kavita will not be harassed. He also received a letter from Kavita mentioning continuous demand of dowry and harassment. he, the father of the deceased gave Rs. 20000/- and later on Rs.25,000/- for purchasing Refrigerator and gold chain, and Karamveer Singh assured that in future Kavita will not be harassed by his family, but nothing was changed in circumstances and when his son Pankaj went to the marital home of Kavita to tender ritual articles on the eve of Sankrati, accused persons demanded Rs.30,000/- and threatened to throw out the articles. Lateron, the deceased was dropped at her father's home at Delhi and in the month of June 1996, the father of the deceased requested to resolve the dispute and apologize in writing then the accused persons took Kavita back in her matrimonial home. After a few days, when he visited matrimonial home of Kavita, she told that there is no change in behavior, they kept her properly for 10-20 days after getting money, otherwise, she is subject to beatings mercilessly. Later, on 26.09.1996, information regarding death of Kavita was received to them.

The brother of the deceased viz. Pankaj (PW4) stated that after returning from metrimonal home, his sister Kavita told him about harassment and cruelty meted out to her for demand of dowry. He also stated that when he went to the matrimonial home of Kavita to give ritual articles on the

eve of Sankranti, demand of Rs.30,000/- was made to him and he was threatened to thrown out articles.

Evidence for defence **:-**

Dr. B. P. Mehla (D.W.2) stated that Kavita, w/o Karamveer remained under his treatment and on 26.08.1996, he had examined her in OPD vide OPD slip (Ex. D-C). As per document (Ex. D-C) patient was suffering from moderate depressing episode. The patient suffered with sadness of mood, absentmindedness, loss of interest in the usual activities, decreased sleep and appetite for the last two months. She had complaints against her in-laws and husband. She had also expressed occasional suicidal ideas. In cross examination, he has admitted that the gradges written on OPD Slip were write down by him on the instance of Kavita and her husband but he can not tell that what was narrated by kavita or what was by her husband. He also admitted that he did not record on the slip that for how long patient was examined by him but generally he takes 20-30 for medical examination of a new patient. He also admitted that he did not take identification mark or took signature of patient on the slip. He denied suggestion about giving false evidence regarding illness of Kavita. Other Witness Rajbala (D.W.3) deposed that on the date of incident Maya Devi was in the school at Delhi.

Arguments of Prosecutor **:-**

The prosecution argued that there is no dispute regarding the death of Kavita in her matrimonial home. It is also not disputed that her death was due to poisoning. It is well proved by prosecution evidence that the deceased was being harassed on account of demand of dowry after her marriage. It is also proved that the brother of deceased Pankaj (P.W.4) was insulted by the accused persons when he went to give articles on eve of Sankranti. The accused persons created a tensed/charged atmosphere that forced to think about committing suicide in her matrimonial home. All the accused persons resided in the same house and Maya Devi, though was in service at Delhi but she frequently used to visit her family at Rohtak and she has

admitted above fact during her statement of accused under Sec.313 Cr.P.C. The prosecution witness stated that whenever demand of dowry were made, Maya Devi was always beside her son. In this case the presumption under Sec. 113 A / 113 B of Evidence Act is also applicable.

Arguments of Defence:-

The defence lawyer argued that the evidence of father and brother of the deceased is not reliable. They are interested persons and there are many contradictions in their testimonies. Nothing on record, except hearsay evidence. Hence, acts of cruelty or harassment or demand of dowry by the accused persons is not proved. The deceased Kavita was in depression and as per evidence of doctor, she was a patient of absentmindness, which may be a reason of committing suicide. Hence, the accused persons can not be held guilty and they are entitled to be acquitted.

It has also been argued that for proving the offence of dowry death the harassment or cruelty for demand of dowry should be soon before death but there is no such evidence on record. Apart from it there is no evidence that cruelty or harassment was meted out to deceased in connection of demand of dowry.

It has been stated by defence that on the date of occurrence, mother in law Maya Devi was in Delhi but not in Rohtak. Rajbala (DW3) who is head mistress of school has proved that Maya Devi was working as teacher in Delhi.

आरोप विरचित करें एवं नीचे दिये गये अभिकथनों एवं साक्ष्य के आधार पर सुसंगत विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखकर साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए निर्णय लिखे :–

अभियोजन का प्रकरण :–

अभियोजन कहानी के अनुसार कविता का विवाह दिनांक 17.07.1994 को विश्वविद्यालय परिसर रोहतक में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करमवीर के साथ संपन्न हुआ था। कविता की ससुराल में उसके पति के अतिरिक्त पति की मां माया, बहन सोनिया, भाई धरमवीर एवं परमवीर भी

थे जो विश्वविद्यालय परिसर स्थित मकान नं. 36 में रहते थे। विवाह के कुछ दिनों के बाद से ही उन्होंने कविता को दहेज के कारण प्रताड़ित करना, मारपीट करना और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। सभी प्रयासों के बाद भी कविता के प्रति उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया और उनका व्यवहार बद से बदतर होता गया। दिनांक 26.09.1996 को दोपहर 3.30 बजे पुलिस को टेलीफोन से किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिली कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित मकान नं. 36 में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तब घटना के बारे में पुलिस जानकारी लेने के लिए अग्रसर हुई। वहां कविता का पिता कंवर सिंह पहुंच गया था। उसने घटनास्थल देखा और अपनी पुत्री के शव को पहचाना।

दिनांक 27.09.1996 को पुलिस थाना सिविल लाईन रोहतक में कंवरसिंह अ.सा.3 द्वारा घटना की शिकायत की गयी जिसमें दहेज के कारण परेशान करना और प्रताड़ित करना बताया गया और इसी के कारण उसकी पुत्री कविता द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करना बताया गया। इस शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी, 306/34 भा.द.सं. पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण अधिकारी द्वारा मौका नक्शा व लाश पंचनामा तैयार किया गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अस्पताल से प्राप्त विसरा रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजा गया। अन्वेषण पूर्ण होने पर पुलिस द्वारा न्यायालय में सभी उपरोक्त अभियुक्तगण के खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :–

बचाव पक्ष के अनुसार मृतिका मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और निराशा में होने से उसके द्वारा आत्महत्या की गयी है जिसके लिए अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मृतिका की सास मायादेवी शिक्षिका होने के कारण दिल्ली में रहती थी और घटना दिनांक को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थी। अभियोजन प्रकरण हितबद्ध साक्षियों की साक्ष्य पर आधारित है जो दुर्भावनाग्रस्त है और विश्वास योग्य नहीं है।

अभियोजन की साक्ष्य :–

मृतिका के पिता कंवर सिंह अ.सा.3 के द्वारा अपने कथनों में यह बताया गया कि कविता के विवाह के सिर्फ 20–25 दिन बाद से ही अभियुक्तगण पति करमवीर और उसके दोनों भाईयों, मां और बहन ने

कविता को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था और जब कविता अपने पिता के घर आयी थी तो उसने अपने माता पिता और भाई को पूरी कहानी बताया था। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा मामले की जांच की गयी तो करमवीर तथा उसकी मां ने उसे बताया कि उन्हें पैसों की जरूरत थी। क्योंकि उन्हें सोनिया का विवाह भी करना था। अतः वह करमवीर को 20,000/– रूपये और दे तो कविता को परेशान नहीं किया जायेगा। कविता द्वारा भेजा गया एक पत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ था जिसमें दहेज की निरंतर मांग और प्रताड़ना के बारे में लिखा था। उसने अर्थात मृतिका के पिता ने 20,000/– और बाद में 25,000/– रूपये फ्रिज और सोने की चेन खरीदने के लिए दिया था और करमवीर द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि अब उसका परिवार कविता को भविष्य में परेशान नहीं करेगा किंतु परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आया और जब संक्रांति पर कविता का भाई परम्परागत सामान देने गया तब अभियुक्तगण ने 30,000/– रूपये की मांग करते हुए सामान फेकने की भी धमकी दी थी। जून 1996 में कविता को उसके पिता के पास दिल्ली में छोड़ दिया गया था और बाद में जब मृतिका के पिता ने मामले को सुलझाने का निवेदन किया था और लिखित में क्षमा याचना किया था तब जून 1996 में कविता को अभियुक्तगण द्वारा अपने घर लाया गया। कुछ दिनों के बाद जब वह कविता के ससुराल गया तो कविता ने उसे बताया कि हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब पैसा दिया जाता है तो 10–20 दिनों के लिए शांति हो जाती है अन्यथा उसे निर्दयतापूर्वक पीटा जाता है। बाद में दिनांक 26.09.1996 को कविता की मृत्यु की सूचना मिली थी।

मृतिका के भाई पंकज ने कथन किया है कि बहन कविता ने ससुराल से लौटकर उसे दहेज की मांग पर से दी जाने वाली प्रताड़ना और दुर्व्यवहार के बारे में बताया था। साक्षी ने यह भी बताया कि जब वह संक्रांति की संध्या पर परम्परागत सामान लेकर कविता के ससुराल गया था तब उससे 30,000/– रूपये की मांग बाबत कहा गया था तथा सामान फेकने की भी धमकी दी गयी थी और अभियुक्तगण द्वारा उसे अपमानित भी किया गया था।

<u>बचाव साक्ष्य</u> :–

डॉ.बी.पी. मेहला (ब.सा.2) ने द्वारा यह कथन दिया है कि करमवीर की पत्नी कविता उनके अधीन उपचारत थी और दिनांक 26.08.1996 को उन्होंने ओ.पी.डी. में ओ.पी.डी. पर्ची (प्र.डी.–सी) के अनुसार उसका

निरीक्षण भी किया था। दस्तावेज (प्र.डी.–सी) के अनुसार मरीज मामूली डिप्रेशन से पीड़ित थी। मरीज दुखी थी, शून्यचित्त, और सामान्य गतिविधियों में रूचि खो चुकी थी, पिछले 2 माह से नींद और भूख कम हो रही थी। उसने अपने ससुराल वालो और पति के विरूद्ध शिकायत की थी। उसने कभी कभी आत्महत्या संबंधी विचारों का आना भी व्यक्त किया था।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि पर्ची में लिखी गयी शिकायतें कविता एवं उसके पति के बताने पर लिखी गयी थी लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि कौन सी बाते पति ने और कौन सी बाते कविता ने बताया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि मरीज को देखने में लगा समय पर्चे में नहीं लिखा है लेकिन वह नये मरीज को देखने में सामान्यतः 20 से 30 मिनिट लेता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने पर्चे पर मरीज का पहचान चिन्ह या हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। उसने कविता की बीमारी के संबंध में गलत कथन देना अस्वीकार किया। अन्य साक्षी राजबाला (ब.सा.3) ने कथन दिया कि घटना दिनांक को मायादेवी दिल्ली में स्कूल में थी।

<u>अभियोजन के तर्क</u> :–

अभियोजन पक्ष का तर्क है कि कविता की मृत्यु उसके ससुराल में होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इस संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि उसकी मृत्यु जहर खाने के कारण हुई थी। अभियोजन की साक्ष्य से विवाह के बाद से ही कविता दहेज को लेकर परेशान किया जा रहा होना अच्छी तरह से साबित है। यह भी साबित है कि मृतिका के भाई पंकज (अ.सा. 4) को अभियुक्तगण के द्वारा अपमानित किया गया जब वह संक्रांति के दिन सामान देने गया था चूँकि अभियुक्तगण द्वारा तनावपूर्ण वातावरण निर्मित किया गया था कविता को अपने ससुराल में आत्महत्या करने के संबंध में विचार करने हेतु विवश होना पड़ा। सभी अभियुक्तगण एक ही मकान में रहते थे और मायादेवी, यद्यपि दिल्ली में नौकरी करती थी, किंतु वह अपने परिवार में अक्सर रोहतक आती रहती थी। उसके द्वारा भी यह बात उसके धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वीकार की गयी है। अभियोजन साक्षियों द्वारा बताया गया है कि जब भी दहेज की मांग की जाती थी तब मायादेवी हमेशा अपने पुत्र के साथ रहती थी। इस मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A / 113B के अंतर्गत उपधारणाा भी लागू होगी।

<u>बचाव तर्क</u> :–

बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि मृतिका के पिता और भाई की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। वे हितबद्ध व्यक्ति हैं और उनकी साक्ष्य में अनेक विसंगतियां है इनमें अनुश्रूत साक्ष्य को छोड़कर अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अभियुक्तगण के द्वारा क्रूरता या तंग किया जाना या दहेज की मांग किया जाना साबित नहीं है। मृतिका कविता अवसादग्रस्त थी और चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार वह शून्यचित्तता के रोग से ग्रसित थी जो आत्महत्या का कारण हो सकता है। फलतः अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उन्हें दोषमुक्त किया जाना चाहिये।

यह तर्क भी किया गया कि दहेज मृत्यु के अपराध के लिए दहेज हेतु प्रताड़ना एवं कूरता मृत्यु के ठीक पहले होना चाहिये लेकिन इसके लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतिका के साथ क्रूरता या तंग करने का व्यवहार किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है।

बचावपक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि घटना दिनांक को मृतिका की सास मायादेवी रोहतक में नहीं होकर दिल्ली में थी। राजबाला (ब.सा.3) जो कि विद्यालय की प्रधान अध्यापिका है, ने भी प्रमाणित किया है कि मायादेवी शिक्षिका के रूप में दिल्ली में कार्यरत थी।

ORDER WRITING
आदेश लेखन

6. ORDER WRITING (CIVIL) 10

Write Order on the basis of facts given below :-

Plaintiff and defendant are inter-se real brothers. The father and mother of both the parties died 40 and 22 years back respectively. The ownership and possessory right of the plaintiff being as purchaser on the disputed agricultural land is continue since 1992. Plaintiff had purchased disputed agricultural land from defendant by way oral agreement for Rs. 6000/-.The possession was obtained by paying whole consideration amount. Defendant had admitted to execute sale deed in favour of plaintiff. The defendant started to avoid, whenever, the plaintiff asked him to execute sale deed in terms of oral agreement. Plaintiff filed a civil suit against the defendant on the said ground before Civil Judge Class II in which I.A. No. 1/20 under Order 39 Rule 1 & 2 C.P.C. was filed to seek temporary

injunction prohibiting defendant to interfere in possession of disputed agricultural land of plaintiff. The learned lower court by passing impugned order dated 09-11-2020 allowed the said I.A. and issued temporary injunction against the defendant. Being aggrieved from the same, the defendant filed a miscellaneous civil appeal under Order 43 Rule 1 C.P.C. against plaintiff before the court of District Judge.

Appellant, by challenging the impugned order has argued that the Plaintiff and Defendant are real brothers and the disputed agricultural land is in their joint names and equal share. Appellant had filed an application before the Revenue Court for partition according to their respective possession. Tehsildar dismised the application of appellant at the preliminary stage believing that question of title is involved in it. Against it, an appeal was filed before Sub Divisional Officer in which both the parties consented for equal partition. Respondent/ Plaintiff signed partition memo to show his consent.

On this ground, Plaintiff's application for temporary injunction is liable to be dismissed. Appellant/Defendant incurred grave loss because he was deprived to use of his land. There is no prima facie case made out in favour of Plaintiff. Plaintiff has filed a false suit on the ground of concocted fact that he had purchased. The land was ancestral. In addition to the above, Appellant/Defendant filed an application before Revenue Court U/s 250 of M.P.L.R.C. to get possession of disputed land which was allowed. It is prayed that learned Lower Court committed an error of law and fact in issuing temporary injunction as impugned order be set aside and this miscellaneous appeal be allowed.

The Respondent/Plaintiff denied the arguments of the Appellant and contested that father of Plaintiff and Defendant made an oral partition between them 30 years back and delivered possession. Thereafter, Plaintiff purchased the disputed land from the defendant on paying entire consideration amount and also obtained the possession. In record of the year 2018, indorsement of separate entries of names after partition are therein. In appeal filed by the plaintiff/respondent, Tehsildar passed an order and confirmed the proceedings initiated by Additional Tehsildar U/s 250 M.P.L.R.C. Plaintiff being aggrieved from the order of Tehsildar, filed an appeal before Revenue Sub Divisional Officer which is sub-judice. The learned Lower Court rightly passed the impugned order duly considering whole facts and circumstances.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आदेश लिखिए :—

वादी एवं प्रतिवादी आपस में सगे भाई है। उभय पक्ष के पिता एवं माता का स्वर्गवास 40 वर्ष एवं 22 वर्ष पूर्व क्रमशः हो चुका है। विवादित कृषि भूमि पर वादी का स्वामित्व व आधिपत्य का अधिकार सन 1992 से क्रेता होने के नाते चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी से विवादित कृषि भूमि रूपये 6000/— के मौखिक करार में क्रय की थी। सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर कब्जा प्राप्त किया गया था। प्रतिवादी ने वादी के पक्ष मे विक्रय पत्र निष्पादित करना स्वीकार किया था। जब वादी ने प्रतिवादी से मौखिक करार की शर्तों के परिपालन में विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा तो उसने टालना शुरू कर दिया। बताये गये तथ्यों के आधार पर वादी ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 के न्यायालय में प्रतिवादी के विरूद्ध दावा लगाया जिसमे आई.ए. नं. 1/20 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवादी को वादी की वादग्रस्त कृषि भूमि के आधिपत्य मे हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 09/11/2020 पारित कर आई.ए. स्वीकार किया गया एवं प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी ने वादी के विरूद्ध आदेश 43 नियम 1 सीपीसी के तहत विविध अपील जिला न्यायाधीश की न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।

अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश को चुनौती देते हुए यह तर्क किया कि वादी एवं प्रतिवादी सगे भाई हैं और विवादित भूमि उनके संयुक्त नाम में समान अंश से धारित रही है। जिसको अपिलार्थी ने कब्जा अनुसार बटवारा हेतु राजस्व न्यायायल में आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने स्वत्व का प्रश्न मानते हुए आवेदन प्रांरभिक स्थिति में ही निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई जिसमें दोनों पक्षों को बराबर अंश के विभाजन हेतु सहमत हुये तथा प्रत्यर्थी/वादी ने उस पर बतौर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये।

इस आधार पर वादी का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी/प्रतिवादी को गंभीर हानि हुई है क्योकि वह अपनी भूमि के उपयोग से वंचित रहा है। यहाँ वादी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। वादी के द्वारा भूमि क्रय करने के बनावटी तथ्य के आधार पर झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है। भूमि पैतृक हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, अपीलार्थी/प्रतिवादी के द्वारा राजस्व न्यायालय में अं0/धा0 250 म. प्र. भु.रा.सं. विवादित भूमि का कब्जा प्राप्ति का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार हुआ है। यह प्रार्थना कि गई है कि विद्वान अवर न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने मे विधि एवं तथ्य की भुल की है और यह विविध अपील स्वीकार की जाए।

प्रत्यर्थी/वादी ने अपीलार्थी के तर्कों को अस्वीकार करते हुए इन आधारों पर प्रतिवाद किया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके पिता द्वारा मौके पर 30 वर्ष पूर्व आपसी मौखिक बटवारा कर कब्जा दे दिया था। उसके पश्चात वादी ने प्रतिवादी को संपूर्ण प्रतिफल राशि देकर विवादित भूमि का कब्जा भी प्राप्त किया। वर्ष 2018 के रिकार्ड में बटवारे के पश्चात् पृथक नाम प्रविष्ट होने का पृष्ठांकन है। तहसीलदार ने अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर आदेश पारित किया और अतिरिक्त तहसीलदार की अं0/धा0

250 म.प्र. भू.रा.सं. की कार्यवाही कि पुष्टि की हैं। वादी के द्वारा तहसीलदार के आदेश से क्षुब्ध होकर उपखंण्ड अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जो कि विचाराधीन हैं। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर उचित रूप से आलोच्य आदेश पारित किया है।

अथवा / **OR**

ORDER WRITING (CRIMINAL)

Write Order on the basis of facts given below:-

Case under sections 302, 324 read with section 34 of Indian Penal Code was pending against the accused. The prosecution examined it's witnesses. Thereafter accused filed an application under section 311 of the criminal procedure code 1973 for recalling of prosecution witnesses Anantram and Raghubir for their further cross examination on the ground that they are relatives of deceased and they have pressurized by the Police to give false statements claiming to be an eye witnesses, however, they were not present at the time of incident. Thus, they are not the eye witnesses and under these circumstances they have filed affidavits that they were not on the spot and under the pressure of the Police they have given statements. In view of this they should have been recalled for cross- examination.

The prosecution in reply has objected that both the witnesses in their evidence stated to have seen the incident. That the defence has properly cross examined the prosecution witness, therefore application is liable to be rejected.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आदेश लिखिए :–

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 324 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. का प्रकरण विचाराधीन था। अभियोजन के अपने सभी साक्षियों का परीक्षण हुआ। इसके बाद अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी अनंतराम एवं रघुवीर को अग्रिम प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः आहूत करने के लिए धारा 311 दं.प्र.सं. के अंतर्गत इस आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया कि वे मृतक के रिश्तेदार है और उन्हें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में मिथ्या कथन देने के लिए पुलिस द्वारा दबाव दिया गया था, जबकि, वे घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं थे। फलतः, वे घटना के साक्षी नहीं है और इन परिस्थितियों में उन्होंने शपथ–पत्र प्रस्तुत किया कि वे मौके पर नहीं थे और उन्होंने पुलिस के दबाव में साक्ष्य दिया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्षियों को प्रतिपरीक्षण के लिए पुनः आहूत किया जाना चाहिये।

अभियोजन ने जवाब में आपत्ति ली हैं कि दोनों साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में घटना को देखना बताया है। यह कि बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन साक्षियों का समुचित प्रतिपरीक्षण किया जा चुका है, इसलिए आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

*****